न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 243/2023

अनवान : –

1. गुरनामसिंह
2. निर्मलसिंह
3. सुखदेवसिंह
4. गमदुरसिंह

| पि0 आत्मासिंह उर्फ अमरसिंह जाति जटसिख निवासी गुरेन खुर्द तहसील बुढलाढ़ा जिला मानसा पंजाब।

5. सरजीत कौर पुत्री आत्मासिंह उर्फ अमरसिंह जाति जटसिख निवासी गुरेन खुर्द तहसील बुढलाढ़ा जिला मानसा पंजाब।
6. अंग्रेज कौर पत्नी स्व गुरजन्टसिंह जाति जटसिख निवासी गुरेन खुर्द तहसील बुढलाढ़ा जिला मानसा पंजाब।
7. टहलासिंह
8. जरनैलसिंह
9. रूपसिंह
10. बसन्तसिंह
11. गुरमीत कौर

| पुत्र व पुत्रीयान स्व0 गुरजन्टसिंह जाति जटसिख निवासी गुरेन खुर्द तहसील बुढलाढ़ा जिला मानसा पंजाब।

–वादीगण

बनाम्

1. आत्मासिंह
2. कमीकर सिंह
3. परमात्मा सिंह

| पुत्रगण गुरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी गुरेन खुर्द तहसील बुढलाढ़ा जिला मानसा पंजाब।

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः 26/9/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के प0न0 329/437 के किला न0 5 ता 20 व 24, 25 की कुल 18 बीघा प0न0 325/438 के किला न0 22 ता 25 की [illegible] बीघा, प0न0 326/438 के किला न0 10 ता 12 की 3 बीघा, प0न0 326/439 के किला न0 [illegible] 12 व 19 ता 20 की 5 बीघा, प0न0 325/439 के किला न0 2 ता 9 व 12 ता 19 की [illegible] बीघा कुल 48 बीघा [illegible] भूमि जिसके रामेश्वर पुत्र लेखराम जाति जाट साकिन सोती पड़ीहारी के नाम दर्ज थी तथा उक्त कृषि भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

से प0न0 329/438 के किला न0 5 ता 20, 24 व 25 की 18 बीघा भूमि गुरमुखसिंह पुत्र चान्दासिंह व आत्मासिंह, परमात्मासिंह, कमेरा सिंह पि0 गुरमुख सिंह जाति जटसिख साकिन गुरेन खुर्द तहसील मानसा पंजाब बहिब एवं अमरसिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी आकलिया तहसील मानसा के 1/2 हिस्सा, दिनांक 05.06.1968 को बैयनामा करवा दिया तथा वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा संभला दिया।

रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के प0न0 प0न0 329/437 के किला न0 5 ता 20 व 24, 25 एवं प0न0 326/438 मु0न0 10 के किला न0 21 व 22 की व प0न0 326/438 के मु0न0 103 के किला न0 23, 24, 25 व प0न0 325/439 के मु0न0 112 के किला न0 2 ता 9 व 12, 19 एवं प0न0 326/430 मु0न0 102 के किला न0 21 व 22 तथा प0न0 326/439 मु0न0 113 के किला न0 1, 2, 9, 10 व 11, 12, 19, 20 कुल 48 बीघा भूमि में से 18 बीघा का नामान्तरण क्रेता के दर्ज हो गया एवं उक्त कृषि भूमि में रामेश्वर पुत्र लेखराम 600 हिस्सा व गुरमुख सिंह वल्द चन्दासिंह, आत्मासिह, प्रमात्मासिह, कमेरा सिंह पुत्रगण गुरमुख सिंह, आत्मासिह वल्द सुन्दर सिंह 360 हिस्सा जाति जटसिख निवासी गुरेन खुर्द तहसील मानसा दर्ज दिया गया।

रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 43 की कुल 48 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 का हिस्सा कस्सी सहवन से गलत दर्ज हो गई क्योंकि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर की 18 बीघा भूमि में गुरमुख सिंह वल्द चन्दासिंह, आत्मासिंह, परमात्मासिह, कमेरसिंह पि0 गुरमुखसिंह आत्मासिह वल्द सुन्दरसिंह ने निस्फ हिस्सा 1/12 हिस्सा भूमि में बैयनामा करवाया था जिसके कारण गुरमुखसिंह वल्द चन्दासिंह, आत्मासिंह, परमात्मासिंह कमेरा सिंह पि0 गुरमुख सिंह ने 180 हिस्सा व आत्मासिह वल्द सुन्दरसिंह के 180 हिस्सा दर्ज होना था परन्तु सभी के नाम 360 हिस्सा दर्ज हो गया जिसके कारण हिस्सा कस्सी जमाबंदी में सहवन से गलत दर्ज हो गया।

गुरमुखसिंह वल्द चन्दासिंह फौत हो चुका है तथा उनकी फौतदगी के बाद उक्त कृषि भूमि में उनका हिस्सा उनके पुत्रगण आत्मासिंह, प्रमात्मासिंह कमेरा सिंह पि0 गुरमुख सिंह के नाम दर्ज हो गया है एवं कमेर सिंह एवं परमात्मासिंह ने अपने हिस्से की भूमि से 1.0120 हैक्ट भूमि दोनों ने सुदेश कुमार पुत्र हरचन्द को बैय कर दी एवं वादग्रस्त भूमि मुताबिक बैयनामा के अनुसार दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु प्रतिवादीगण के नाम वाद भूमि ज्यादा दर्ज हो गयी जिसके कारण वादीगण हिस्सा कस्सी दुरूस्त करवाकर अपने नाम कृषि भूमि दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा जमाबंदी दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बैयनामा के अनुसार कृषि भूमि दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा चक 14 बारानी [illegible] स0 113/108 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 2.277 हैक्ट भूमि में [illegible] 1/5 हिस्सा एवं वादीगण स0 6 ता 1 बहिब 1/5 हिस्सा एवं शे[illegible] प्रतिवादी स0 1 अकेला 1.265 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं सुरेश का हिस्सा यथावत रहेगा एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का नाम कलमजन किया जावें इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नयी जमांदी, मृत्यु प्रमाण पत्र गुरजन्टसिंह, सदस्य प्रमाण पत्र गुरजन्टसिंह आदि पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 का हिस्सा कस्सी सहवन से गलत दर्ज हो गई क्योंकि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर की 18 बीघा भूमि में गुरमुख सिंह वल्द चन्दासिंह, आत्मासिंह, परमात्मासिह, कमेरसिंह पि0 गुरमुखसिंह आत्मासिह वल्द सुन्दरसिंह ने निस्फ हिस्सा 1/12 हिस्सा भूमि में बैयनामा करवाया था जिसके कारण गुरमुखसिंह वल्द चन्दासिंह, आत्मासिंह, परमात्मासिंह कमेरा सिंह पि0 गुरमुख सिंह ने 180 हिस्सा व आत्मासिह वल्द सुन्दरसिंह के 180 हिस्सा दर्ज होना था परन्तु सभी के नाम 360 हिस्सा दर्ज हो गया जिसके कारण हिस्सा कस्सी जमाबंदी में सहवन से गलत दर्ज हो गया। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल/राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 113/108 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि के संयुक्त खाता में वादीगण स0 1 ता 5 एवं मृतक गुरजन्टसिंह प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि मुताबिक बैयनामा दर्ज न होकर प्रतिवादीगण के नाम ज्यादा [illegible] हिस्सा कम ज्यादा हो गया है। वादी के उक्त कथन को स्वीकार करते [illegible] इकबाल पेश किया गया है। वादी के वाद को स्वीकार कर[illegible] संख्या 1 ता 3 द्वारा इकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण के अनुसार मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गुरजन्टसिंह के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने तथा एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 113/108 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 2.277 हैक्ट भूमि में वादीगण स0 1 ता 5 प्रत्येक 1/5 हिस्सा एवं वादीगण स0 6 ता 11 बहिब 1/5 हिस्सा एवं शेष 2.277 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 अकेला 1.265 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं सुरेश का हिस्सा यथावत रहेगा तथा प्रतिवादी स0 2 ता 3 का नाम उक्त वाद भूमि में कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/9/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 243/2023

अनवान : –

1. गुरनामसिंह
2. निर्मलसिंह
3. सुखदेवसिंह
4. गमदुरसिंह

पि0 आत्मासिंह उर्फ अमरसिंह जाति जटसिख निवासी गुरेन खुर्द तहसील बुढलाढ़ा जिला मानसा पंजाब।

5. सरजीत कौर पुत्री आत्मासिंह उर्फ अमरसिंह जाति जटसिख निवासी गुरेन खुर्द तहसील बुढलाढ़ा जिला मानसा पंजाब।
6. अंग्रेज कौर पत्नी स्व गुरजन्टसिंह जाति जटसिख निवासी गुरेन खुर्द तहसील बुढलाढ़ा जिला मानसा पंजाब।
7. टहलासिंह
8. जरनैलसिंह
9. रूपसिंह
10. बसन्तसिंह
11. गुरमीत कौर

पुत्र व पुत्रीयान स्व0 गुरजन्टसिंह जाति जटसिख निवासी गुरेन खुर्द तहसील बुढलाढ़ा जिला मानसा पंजाब।

–वादीगण

बनाम्

1. आत्मासिंह
2. कमीकर सिंह
3. परमात्मा सिंह

पुत्रगण गुरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी गुरेन खुर्द तहसील बुढलाढ़ा जिला मानसा पंजाब।

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गतधारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 243 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 113/108 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 2.277 हैक्ट भूमि में वादीगण स0 1 ता 5 प्रत्येक [illegible] 5 [illegible]स्सा एवं वादीगण स0 6 ता 11 बहिब 1/5 हिस्सा एवं शेष 2.277 हैक्ट [illegible] 1.265 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं सुरेश का हिस्सा [illegible]ावत रहेगा तथा प्रतिवादी स0 2 ता 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का नाम उक्त वाद भूमि में कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/9/22 को में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:16 IST
Reason: SelfAttested